



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक- 21 दिसम्बर 2024

थाना नरौरा

शातिर पशु चोरों के साथ थाना नरौरा पुलिस व स्वाट टीम देहात की हुई मुठभेड़, जवाबी कार्यवाही में 02 बदमाश घायलावस्था सहित कुल 04 बदमाश गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 08 बकरे, अवैध असलहा, कारतूस, अवैध चाकू व घटना मे प्रयुक्त कार बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 20/21.12.2024 की रात्रि को थाना नरौरा पुलिस व स्वाट टीम देहात एक अभिसूचना के आधार पर वाजिदपुर पुलिस का पास चैकिंग/गस्त कर रही थी उसी समय नरौरा की तरफ से एक संदिग्ध कार आती हुई दिखाई दी जिसको रूकने का इशारा किया गया तो नही रुके बल्कि गाड़ी मोड़कर ग्राम वाजिदपुर की तरफ भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा संदिग्धों का पीछा किया गया तो संदिग्ध आगे गांव होने के कारण गाड़ी छोड़कर पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भागने लगे। जिस पर पुलिस टीम द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया तो कुछ दूरी पर बदमाशों को घेर लिया गया। बदमाशों द्वारा अपने आपको पुलिस से घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गयी, पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में 02 बदमाशों के पैर में गोली लगने से घायल हो गये व अन्य 02 बदमाशों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है तथा 02 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे जिनकी कॉम्बिंग कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहा है। गिरफ्तार/घायल बदमाशों की पहचान 1. शाकिर कुरैशी पुत्र बाबू कुरैशी निवासी टंकी मौहल्ला कस्बा दहगंवा थाना जरीफनगर जनपद बंदायू 2. देवेन्द्र सिंह पुत्र गजराज निवासी गांव चबूतरा थाना जुनावई जनपद सम्भल के रूप में हुई हैं, जिनको उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है तथा अन्य 02 बदमाशों की पहचान 1. नदीम कुरैशी पुत्र रहीश कुरैशी निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना बहजोई जनपद सम्भल 2. बॉबी उर्फ शाहिद पुत्र पप्पू उर्फ आबिद निवासी अंसारी मौ0 थाना फतेहगंज जनपद बरेली के रूप में हुई है। बदमाशों के कब्जे से 08 बकरे सहित अवैध असलहा, कारतूस, अवैध चाकू व घटना मे प्रयुक्त कार बरामद किया गया।

उल्लेखनीय है कि बदमाश शातिर किस्म के पशु चोर हैं। बदमाशों द्वारा दिनांक 23-10-2024 की रात्रि में थाना नरौरा क्षेत्रान्तर्गत गांव बैलोन से 13 बकरे चोरी करने की घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना नरौरा पर मुअसं- 221/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत हैं तथा दिनांक 12.12.2024 की रात्रि को ग्राम निवाड़ी बांगर से 04 बकरे चोरी करने की घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना नरौरा पर मुअसं-248/24 धारा 303(2) पंजीकृत है। इन घटनाओं से सम्बन्धित 08 बकरे बरामद हुए है। अभियुक्तों द्वारा थाना पहासू व अहमदगढ़ से भी पशु चोरी कराना स्वीकार किया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के निरन्तर प्रयास किये जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. शाकिर कुरैशी पुत्र बाबू कुरैशी निवासी टंकी मौहल्ला कस्बा दहगंवा थाना जरीफनगर जनपद बंदायू।
2. देवेन्द्र सिंह पुत्र गजराज निवासी गांव चबूतरा थाना जुनावई जनपद सम्भल।
3. नदीम कुरैशी पुत्र रहीश कुरैशी निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना बहजोई जनपद सम्भल।
4. बॉबी उर्फ शाहिद पुत्र पप्पू उर्फ आबिद निवासी अंसारी मौ0 थाना फतेहगंज जनपद बरेली।

बरामदगी-

1. 08 बकरे (चोरी के)
2. 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय 03 जिन्दा कारतूस, 02 खोखा कारतूस, 01 मिस कारतूस।
3. 01 अवैध चाकू
4. 01 कार आई-20 न0 DL8CT1944 (घटना मे प्रयुक्त)

गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के पशु चोर हैं जिनके द्वारा भिन्न-भिन्न थानो से पशु चोरी की घटना कारित करने की स्वीकारोक्ति की गयी हैं अभियुक्तों द्वारा बरामद कार को घटना मे प्रयुक्त किया जाता है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना नरौरा पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

अभियुक्त शाकिर कुरैशी का अपराधिक इतिहास-

1. मुअसं 317/2016 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना गुन्नौर जनपद संभला
2. मुअसं 318/2016 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गुन्नौर जनपद संभला
3. मुअसं 168/2023 धारा 379 भादवि थाना जुनावई जनपद संभला
4. मुअसं 315/2016 धारा 147/148/149/302 भादवि थाना गुन्नौर जनपद संभला
5. मुअसं 281/2021 धारा 379 भादवि थाना वजीरगंज जनपद बदायूं
6. मुअसं 317/2021 धारा 411/413 भादवि व 11 पशु क्रूरता का निवारण अधि० थाना वजीरगंज जनपद बदायूं
7. मुअसं 229/2020 धारा 120बी/34/380/411 भादवि थाना छतारी जनपद बुलन्दशहरा
8. मुअसं 230/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना छतारी जनपद बुलन्दशहरा
9. मुअसं- 241/24 धारा 305 बीएनएस थाना अहमदगढ जनपद बुलन्दशहरा
10. मुअसं- 268/24 धारा 305 बीएनएस थाना पहासू जनपद बुलन्दशहरा
11. मुअसं- 221/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहरा
12. मुअसं-248/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहरा
13. मुअसं 251/2024 धारा 109/303(2)/317(2)/3(5) बी०एन०एस० व 3/4/25/28 आर्म्स एक्ट थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहरा

अभियुक्त देवेन्द्र सिंह का अपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 41/2020 धारा 411/414/420 भादवि थाना गुन्नौर जनपद संभला
2. मुअसं-42/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गुन्नौर जनपद संभला
3. मुअसं- 83/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना गुन्नौर जनपद संभला
4. मुअसं- 241/2017 धारा 395/412 भादवि थाना गुन्नौर जनपद संभला
5. मुअसं- 268/2017 धारा 307 भादवि थाना गुन्नौर जनपद संभला
6. मुअसं- 375/2018 धारा 392/411 भादवि थाना गुन्नौर जनपद संभला
7. मुअसं- 444/2017 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गुन्नौर जनपद संभला
8. मुअसं- 606/2017 धारा 3(1) गुण्डा अधि० थाना गुन्नौर जनपद संभला
9. मुअसं 656/2018 धारा 392/411 भादवि थाना गुन्नौर जनपद संभला
10. मुअसं 721/2018 धारा 307 भादवि थाना गुन्नौर जनपद संभला
11. मुअसं 120/2022 धारा 380/457/411 भादवि थाना बहजोई जनपद संभला
12. मुअसं 144/2022 धारा 380/411 भादवि थाना बहजोई जनपद संभला
13. मुअसं 209/2022 धारा 379/411 भादवि थाना बहजोई जनपद संभला
14. मुअसं 358/2022 धारा 3(1) गुण्डा अधि० थाना बहजोई जनपद संभला
15. मुअसं- 241/24 धारा 305 बीएनएस थाना अहमदगढ जनपद बुलन्दशहरा
16. मुअसं- 268/24 धारा 305 बीएनएस थाना पहासू जनपद बुलन्दशहरा
17. मुअसं- 221/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहरा
18. मुअसं-248/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहरा
19. मुअसं 251/2024 धारा 109/303(2)/317(2)/3(5) बी०एन०एस० व 3/4/25/28 आर्म्स एक्ट थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहरा

अभियुक्त नदीम कुरैशी का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं 38/2021 धारा 380/411 भादवि थाना बहजोई जनपद संभला
2. मुअसं 226/2019 धारा 379/411 भादवि थाना बहजोई जनपद संभला
3. मुअसं- 241/24 धारा 305 बीएनएस थाना अहमदगढ जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं- 268/24 धारा 305 बीएनएस थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।
5. मुअसं- 241/24 धारा 305 बीएनएस थाना अहमदगढ जनपद बुलन्दशहर।
6. मुअसं- 268/24 धारा 305 बीएनएस थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।
7. मुअसं- 221/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहर।
8. मुअसं-248/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहर।
9. मुअसं 251/2024 धारा 109/303(2)/317(2)/3(5) बी0एन0एस0 व 3/4/25/28 आर्म्स एक्ट थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त बाँबी उर्फ शाहिद का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 241/24 धारा 305 बीएनएस थाना अहमदगढ जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 268/24 धारा 305 बीएनएस थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं- 221/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं-248/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहर।
5. मुअसं 251/2024 धारा 109/303(2)/317(2)/3(5) बी0एन0एस0 व 3/4/25/28 आर्म्स एक्ट थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. श्री राम नारायन सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना नरौरा
2. उ0नि0 मौ0 सलमान, उ0नि0 श्री सुखपाल सिंह
4. है0का0 सोनूसिंह, का0 सुरेन्द्रसिंह, का0 अमन चौहान

गिरफ्तार करने वाली स्वाट टीम देहात:-

1. श्री लोकेश अग्निहोत्री प्रभारी स्वाट टीम देहात
2. है0का0 नेत्रापल राणा, है0का0 नितिन कुमार शर्मा, है0का0 कुलदीप सिंह, है0का0 अरूण कुमार, का0 मनीष कुमार, का0 आकाश कुमार, का0 विपिन कुमार, का0 अदय सोलंकी





मीडिया सेल बुलंदशहर